	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-10-19	वकील वादी उपस्थित राज पैरोकार उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी खारिज किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपील यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

1	159/2019	18/6/19	11/10/19	43	96	139	स्वीकार

4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 293/2016

1 महेन्द्र कुमार
2 इन्द्राज उर्फ विक्रम } पुत्रान श्री जयदेव जाति जाट (बैनीवाल) निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़ – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 उपवन संरक्षक, वन विभाग, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ (हनुमानगढ़)।
2 स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेन्द्र भूवांल अधिवक्ता — वादी
2. श्री सोहनलाल सहारण अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1
3. राज पैराकार — प्रतिवादी संख्या 2

दिनांक :– 30.10.2019

–:: निर्णय ::–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि चक 29 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 32/21 पत्थर नम्बर 40/226 (73) किला नम्बर 15, 25 पत्थर नम्बर 41/226 (74) किला नम्बर 6, 11 से 25, पत्थर नम्बर 41/227 (79) किला नम्बर 1 से 13, 20 पत्थर नम्बर 40/227 (80) किलान म्बर 5 से 7, 14 से 17, 24 कुल तादादी 9.208 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन में वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादी की कृषि भूमि चक 29 एल.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 41/227 (79) किला नम्बर 6/.139, 7/.240, 12/.190, 13/.076, 20/.038 व पत्थर नम्बर 40/.227 (80) किला नम्बर 16/.164, 17/.0240, 24/.025 हैक्टर दर्ज रिकार्ड व खातेदारी है। व वादीगण के कब्जा काश्त में है। इस कृषि भूमि में वादीगण नें नरमा, ग्वार व मुगफली की फसल काश्त की हुई है। इन किलों के शेष रकबा में एल.एल.डब्ल्यू. नहर है।, यह नहर पूर्व में कच्ची थी, जिसे बाद में पक्का निर्मित किया गया है।

इस नहर की बुर्जी संख्या 105 व 106 के उत्तर की तरफ की साईड में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है इस सम्बंध में वादी नें प्रतिवादी संख्या 1 के अधिनस्थ कर्मचारीगण को कहा कि वे वादी की कृषि भूमि जिसका विवरण उपरोक्त चरण में दिया गया है के किला नम्बर 23 में उसकी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का वृक्षारोपण नहीं करें व पैमाईश करके नहर की सीमा में ही वृक्षारोपण करें लेकिन उन्होनें वादी की बाद माननें से इन्कार कर दिया व वादी को स्पष्ट धमकी दी कि इसी तरह से वृक्षारोपण करेगें। वादी की कृषि भूमि में वृक्षारोपण हो जानें से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी को अपनी कृषि भूमि का शांन्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग करनें का पूर्ण अधिकार है, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान कारित करनें की अधिकारिता प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त नहीं है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 के इस अनुचित व अवैधानिक कृत्य के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 2

Scanned by CamScanner

वादी नें दिनांक 11.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि वे वादी की खातेदारी कृषि भूमि जो वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित है, में किसी प्रकार से वृक्षारोपण नहीं करें तथा पैमाईश करवाकर ही वृक्षारोपण करें लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 नें ऐसा करनें से साफ इन्कार कर दिया यही वाद कारण है।

विवादग्रस्त आराजी तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है, इस कारण वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद–पत्र वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

(क) स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वह वादी की कृषि भूमि चक 29 एल.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 32/21 के पत्थर नम्बर 41/227 (79) किला नम्बर 6/.139, 7/.240, 12/.190, 13/.076, 20/.038 व पत्थर नम्बर 40/227 (80) किला नम्बर 16/.164, 17/.240, 24/.025 हैक्टर में किसी प्रकार का वृक्षारोपण कर फसल नष्ट नहीं करें तथा तथा वादीगण के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित हो, वादी के पक्ष में जारी फरमाया जावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत वाद पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि एल.एल.डब्ल्यू. के दोनो तरफ नहरी विभाग द्वारा नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 वृक्षारोपण करनें हेतु भूमि दी है। जिस पर वादीगण द्वारा सहमती से पैमाईश कर वृक्षारोपण हेतु सहमति देनें पर वृक्षारोपण किया गया है। नहर के दोनों तरफ नियमानुसार छोड़ी गई भूमि में वृक्षारोपण किये जानें के कारण वादीगण को कोई अपरिमेय क्षति नहीं हो रही है। इसलिये वादीगण किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें के अधिकारी नहीं है।

अतः जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें व खर्चा मुकदमा दिलाया जावें।

वादी द्वारा दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट उत्तमसिंह वाला में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि की पैमाईश कर प्रार्थी को अनुतोष की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए प्रार्थी निवेदन करता है कि इस संबंध में तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ को आदेशित फरमाया जावें कि वे वादी की कृषि भूमि की पैमाईश कर इस संबंध में उचित निशानदेही देवे जिससे कि मामला का निस्तारण हो सके।

प्रकरण के सन्दर्भ में राज पैरोकार द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं करते हुए कथन किया गया कि वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सम्बध में पैमाईश बाबत कभी किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादी की भूमि की पैमाईश हो सके। वादी अपनी खातेदारी भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहता है, तो वह नियमानुसार सक्षम अधिकारी के पास अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवा कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः वाद वादी पैमाईश हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करनें के अभाव में वर्तमान स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 3

Scanned by CamScanner

वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा मेरी खातेदारी भूमि में वृक्षारोपण किया जा रहा है। चुँकि मेरी खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नहीं है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादाधीन खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करनें हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करें ताकि वादी के अधिकार सुरक्षित रह सके।

–:: आदेश ::–

हमने समायत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के साथ अपनी खातेदारी भूमि की करवाई गई पैमाईश बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे कार्य की भूमि में वादी का स्वामित्व (Title) सिद्ध हो सके। अतः वाद वादी स्वामित्व (Title) के अभाव में वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाकर वादी को आदेशित किया जाता है, कि वे समक्ष अधिकारी के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व (Title) के सम्बंध में वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 30/09/19 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 293/2016

1 महेन्द्र कुमार
2 इन्द्राज उर्फ विक्रम

पुत्रान श्री जयदेव जाति जाट (बैनिवाल) निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – **वादीगण**

–:: बनाम ::–

1 उपवन संरक्षक, वन विभाग, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ (हनुमानगढ़)।
2 स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़। – – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा :– 188, आर.टी.ए. बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांक :– 30.10.2019

वादीगण की और से श्री राजेन्द्र भूवांल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री सोहनलाल सहारण अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 30.10.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के साथ अपनी खातेदारी भूमि की करवाई गई पैमाईश बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे कार्य की भूमि में वादी का स्वामित्व (Title) सिद्ध हो सके। अतः वाद वादी स्वामित्व (Title) के अभाव में वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाकर वादी को आदेशित किया जाता है, कि वे समक्ष अधिकारी के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व (Title) के सम्बंध में वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 30-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस			

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.29 15:14:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: